रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032021-225736 CG-DL-E-09032021-225736

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2021/फाल्गुन 18, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2021/PHALGUNA 18, 1942

No. 121]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

आयकर

सा.का.नि. 162(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम 1961 (1961 के 43) की धारा 9क की उपधारा (3), खंड (ड) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) संक्षिप्त नाम औरप्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2) आयकर नियम, 1962 में, नियम 10फ के उप नियम (12) में दूसरे परंतुक के बाद और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थातु :-

"परंतु यह भी कि नियम 10फक के उपनियम (3) से उपनियम (12) के उपबंध, दूसरे परंतुक के अधीन किए गए आवेदन पर,यथा आवश्यक परिवर्तन सहित वैसे ही लागू होंगे जैसे कि उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन किए गए आवेदन पर लागू होते है।

परंतु यह भी की दूसरे परंतुक के अधीन किए गए ऐसे आवेदन पर, जो 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले पिछले वर्ष के लिए किए गए हैं और 1 फरवरी, 2021 को या उससे पहले किए गए हैं, नियम 10फक के उपनियम (3) के उपबंध लागू नहीं होंगे।"

[अधिसुचना सं. 13/2021/फा.स.142/15/2015-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक, कर नीति एवं विधान प्रभाग

1456 GI/2021 (1)

टिप्पण: मूल नियम भारतका राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 155(अ)तारीख 5 मार्च, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2021

INCOME-TAX

- **G.S.R. 162(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (3) of section 9A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Income-tax (2nd Amendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 10V, in sub-rule (12), after the second proviso and before the Explanation, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided also that the provisions of sub-rules (3) to (12) of rule 10VA shall, *mutatis mutandis*, apply to the application made under the second proviso as they apply to application made under sub-rule (2) of the said rule:

Provided also that the provisions of sub-rule (3) of rule 10VA shall not apply to an application made under the second proviso, if it is for the previous year beginning on the 1st day of April, 2021, and made on or before the 1st day of February, 2021.".

[Notification No. 13/2021/ F. No. 142/15/2015-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), *vide* number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 155(E) dated the 5th March, 2021.